Seventeenth Loksabha

an>

Ttile: Regarding construction of Murakati Branch Canal in Jamshedpur Parliamentary Constituency-laid.

श्री बिद्‌युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं सरकार का ध्यान एक अतिमहत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना के निर्माण कराने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूॅ । विदित है कि प्रधानमंत्री सिंचाई स्वर्णरिखा बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत मुराकाटी शाखा नहर के निर्माण हेतु परियोजना का छठा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक 447-56 दिनांक 06.09.2019 द्वारा FTPC के तहत प्रदान की गई थी, जिसकी राशि रू0 14949.744 करोड़ है । यह स्वीकृति जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार रांची के अनुशंसा के उपरान्त ही प्रदान की गई थी । जल संसाधन विभाग रांची के पत्रांक 1/PMC/कार्य-996/2017-46/2021, प्र0स्वी0, दिनांक 19.03.2021 द्वारा रू0 12849.46 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है । उसी क्रम में मुराकाटी शाखा नहर जो कि स्वर्णरिखा परियोजना का प्रमुख अवयव है, इसके निर्माण को राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई । खरकई दांया मुख्य नहर के कि0मी0 29.83 से निःसृत मुराकाटी शाखा नहर का सिंचाई क्षमता 14,122 हेक्टेयर है । यह क्षेत्र मूल रूप से पोटका, मुसाबनी, घाटशिला एवं घुड़ाबान्दा प्रखण्ड के अन्तर्गत आता है । एक ओर उसी क्षेत्र के किसानों का 650 हेक्टेयर जमीन अधिगृहित कर गालुडीह दायां मुख्य नहर का निर्माण कर उड़ीसा को सिंचाई वर्ष 2012 से जलापूर्ति की जा रही है दूसरी ओर घाटशिला एवं पोटका विधानसभा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा से झारखण्ड सरकार वंचित कर रही है, जबकि गजिया स्थित खरकई बराज के शीर्ष संरचना का निर्माण कार्य वर्ष 2020 में सम्पन्न हो चुका है । मुराकाटी शाखा नहर का पूरा कमाण्ड क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र (जमशेदपुर) में स्थित है ।

अतः मैं माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मुराकाटी शाखा नहर जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत FTPC के

अन्तर्गत एक मुख्य अंग है, का निर्माण सुनिश्चित किया जाय, जिससे मेरे संसदीय जमशेदपुर के किसानों जो मुख्यतः आदिवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के हैं को सिंचाई का लाभ मिल सके ।